



HP  
25/9/89

# भारत का राजपत्र The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 14] नई दिल्ली, शनिवार, अप्रैल 8, 1989/चैत्र 18, 1911  
No. 14] NEW DELHI, SATURDAY, APRIL 8, 1989/CHAITRA 18. 1911

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में  
रखा जा सके  
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a  
separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (1)  
PART II—Section 3—Sub-section (1)

(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और (संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर)  
केन्द्रीय अधिकारियों द्वारा विधि के अन्तर्गत बनाए और जारी किए गए साधारण नियम,  
(जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उपनियम आदि सम्मिलित हैं)।

General Statutory Rules (including Orders, Bye-laws etc. of a general  
Character) issued by the Ministries of the Government of India (other  
than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other  
than the Administrations of Union Territories)

SUPREME COURT OF INDIA  
New Delhi, the 25th March, 1989

G.S.R. 242 :- Under Rule 5(i) and (ii) of Order IV, Supreme Court Rules, 1966 (as amended), and Regulation (2) of the Regulations regarding Advocates-on-Record Examination made thereunder governing the Examination for Advocates-on-Record, it is hereby notified for the information of All concerned that Examination for the Advocates-on-Record will be held in the Supreme Court premises, New Delhi, on 8th, 9th, 10th and 11th May, 1989.

2. All Advocates who will be completing one year's continuous training or before 30th April, 1989 are eligible to appear for the aforesaid examination.

3. Applications should reach the Secretary not later than Saturday the 8th April, 1989. The application form may be obtained from the Secretary on any working day during office hours.

4. Applications will be accepted provisionally subject to the production of the requisite certificate relating to the required training from the Advocate-on-Record concerned as soon as possible and in any case not later than Saturday,

the 22nd April, 1989. Applications from candidates who fail to produce the said certificate on or before 29-4-1989 shall not be entertained.

5. Two lists of leading cases with regard to Paper IV reading as "Leading Cases" are appended to this Notification as Annexures 'A' & 'B'.

[JR/S-VIII/89]  
R.R. KUMAR, Secy.  
(Board of Examiners).

ANNEXURE 'A'

Some Important Cases on Constitutional Law of utility to prospective Advocates-on-Record.

1. Automobile Transport vs. State of Rajasthan  
AIR 1962 S.C. 1406 = 1963 (1) SCR 491
2. Ujjam Bai vs. State of U.P.  
AIR 1962 SC 1621 = 1963 (1) SCR 778
3. In re. Sea Customs Act  
AIR 1963 SC 1760 = 1964 (3) SCR 787
4. State of W. Bengal vs. Union of India  
AIR 1963 SC 1241 = 1964 (1) SCR 371

New Delhi, the 14th March, 1989

G.S.R. 265.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 26 of the Delhi Urban Art Commission Act, 1973 (1 of 1974), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Delhi Urban Art Commission (Terms and Conditions of Service) Rules, 1974, namely:—

1. (1) These rules may be called the Delhi Urban Art Commission (Terms and Conditions of Service) Amendment Rules, 1989.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Delhi Urban Art Commission (Terms and Conditions of Service) Rules, 1974,—

(i) in rule 3, for sub-rule (1), the following sub-rule shall be substituted, namely:—

“(1) A whole time Chairman shall draw salary in the scale of Rs. 7300-100-7600 and a whole time Member shall draw salary in the scale of Rs. 5900-200-6700.”

(ii) for rule 4, the following rule shall be substituted, namely:—

“4. Remuneration of part-time Chairman and Members:

(1) A part-time Chairman of the Commission shall be paid an allowance at the rate of Rs. 200 per day for each day he is engaged in the work of the Commission, including the days of meetings:

Provided that such Chairman shall not be entitled to such allowance for more than 12 days in a calendar month.

(2) A part-time Member of the Commission shall be paid an allowance at the rate of Rs. 150 per

day for each day he is engaged in the work of the Commission, including the days of meetings:

Provided that such Member shall not be entitled to such allowance for more than 12 days in a calendar month.

(3) A Part-Time Chairman or a Part-time Member of the Commission, not resident in Delhi, shall be entitled also to travelling allowance, at such rate as is admissible to a Grade-I Officer of the Central Government under the Supplementary Rules, in respect of journeys undertaken by him in connection with the work of the Commission.

(4) The Part-time Chairman shall, in addition, be entitled to free transport from his residence to the Office of the Commission for attending the work of the Commission and back to his residence.”

[No. A-11013/3/87-DDVB/VI]  
S. P. SINGAL, Director (DD)

Note.—The original Notification of the above mentioned Rules was made vide G.S.R. No. 191(E) dated the 27th April, 1974. The subsequent amendments to the Rules were made by the following Notifications:—

1. Notification No. M-12011/1/73-UDI (GSR No. 925) dated 2-7-1975.
2. Notification No. GSR 614 dated 2-4-1979.
3. Notification No. A-11013/30/81-DDVB (GSR No. 41) dated 9-1-1984.
4. Notification No. GSR 1251 dated 14-11-1974.
5. Notification No. A-11015/29/82-DDVB dated 10-9-1982.

### सूचना और प्रसारण मंत्रालय

नई दिल्ली, 23 मार्च, 1989

मा.का.नि 266-- राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय प्रसारण (इंजीनियर) सेवा नियम, 1981 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है: अर्थात:—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम भारतीय प्रसारण (इंजीनियर) सेवा (संशोधन) नियम, 1989 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. भारतीय प्रसारण (इंजीनियर) सेवा नियम, 1981 में (जिन्हें इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है) नियम 7 के उपनियम (2) के खण्ड (ख) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात:—

(ख) कनिष्ठ वेतनमान में श्रेणियाँ प्रतिशत शक्तियों नियंत्रण पर प्राधिकारी द्वारा अनुसूची 4 में यथाउपबंधित सम्यक रूप के गठित विभागीय प्रोन्नति समिति द्वारा गुणानुषंग के अनुसार चयन के आधार पर प्रोन्नति के सुसंगत क्षेत्र से और अनुसूची 3 की क्र. सं. 6 के सामने स्तंभ 4 में दया-विनिर्दिष्ट न्यूनतम अर्हक सेवा रखने वाले ऐसे अधिकारियों में से प्रोन्नति द्वारा भरो जाएंगी जो इन नियमों की अनुसूची 2 में कनिष्ठ वेतनमान में सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित अर्हताएं रखते हैं।

3. उक्त नियमों की अनुसूची-1 के स्थान पर निम्नलिखित अनुसूची रखी जाएगी, अर्थात:—

#### अनुसूची-1

(नियम 4 का उपनियम (1) देखें)

भारतीय प्रसारण (इंजीनियर) सेवा की विभिन्न श्रेणियों में सम्मिलित किए गए कर्तव्य पदों का नाम, उनकी सूचना और वेतनमान

क्र.सं.	श्रेणी	पदों की संख्या			वेतनमान
1	2	3	4	5	
		स्थायी	अस्थायी	योग	
1.	प्रमुख इंजीनियर	1	1	2	7300-100-7600 रु.
2.	उपेक्ष प्रशासनिक श्रेणी	7	15	22	5900-200-6700 रु.
3.	कनिष्ठ प्रशासनिक श्रेणी (चयन श्रेणी)				4500-150-5700 रु.
4.	कनिष्ठ प्रशासनिक श्रेणी	71	64	135	3700-125-4700-160-5000 रु.

1	2	3	4	
5. ज्येष्ठ काल वेतनमान	200	147	347	3000-120-3500-125-4500 रु.
6. कनिष्ठ काल वेतनमान	232	383	615	2200-75-2800-ब.रो.-100-4000 रु.

कनिष्ठ प्रशासनिक श्रेणी (चयन श्रेणी) प्रकृत्यकारी है और उस श्रेणी में पदों की अधिकतम संख्या ज्येष्ठ कर्तव्य पदों (प्रभारित, काष्ठर में ज्येष्ठ काल वेतनमान के स्तर तक के और उसके अधिक के सभी कर्तव्य पद के 15 प्रतिशत के बराबर होगी, और चयन श्रेणी में पदों की संख्या कनिष्ठ प्रशासनिक श्रेणी में मंजूर किए गए पदों की संख्या तक सीमित होगी।

4. उक्त नियमों की अनुसूची 3 के स्थान पर निम्नलिखित अनुसूची रखी जाएगी, अर्थात् :-

#### अनुसूची-3

(नियम-7 का उपनियम (2) और उपनियम (3) का खंड (ग) देखिए)

भारतीय प्रसारण (इंजीनियर) सेवा की विभिन्न श्रेणियों में सम्मिलित किए गए कर्तव्य पदों में प्रोन्नति पर अधिकारियों की नियुक्ति के लिए भर्ती की पद्धति, प्रोन्नति का क्षेत्र और अग्रणी निम्नतर श्रेणी में न्यूनतम प्रवृत्त सेवा।

क्र.सं.	श्रेणी	भर्ती की पद्धति	प्रोन्नति के लिए चयन क्षेत्र और न्यूनतम प्रवृत्त सेवा
1	2	3	4
1.	प्रमुख इंजीनियर	प्रोन्नति द्वारा	ज्येष्ठ प्रशासनिक श्रेणी के ऐसे अधिकारी जिन्होंने उस श्रेणी में 3 वर्ष नियमित सेवा की है।
2.	ज्येष्ठ प्रशासनिक श्रेणी	प्रोन्नति द्वारा	कनिष्ठ प्रशासनिक श्रेणी के ऐसे अधिकारी जिन्होंने उस श्रेणी में 8 वर्ष नियमित सेवा की है (जिसके अन्तर्गत प्रकृत्यकारी चयन), श्रेणी में की गई सेवा, यदि कोई है, भी है) या समूह के पदों में 17 वर्ष सेवा की है जिसमें से 4 वर्ष की नियमित सेवा कनिष्ठ प्रशासनिक श्रेणी में होनी चाहिए।
3.	कनिष्ठ प्रशासनिक श्रेणी (चयन श्रेणी)	संपूर्ण कार्य भिण्णाव अनुभव और अन्य सुसंगत विषयों को हिसाब में लेते हुए उपयुक्तता पर आधारित ज्येष्ठता के आधार पर प्रोन्नति द्वारा।	ऐसे अधिकारी जो वर्ष की 1 जुलाई को सेवा के चौहदवें वर्ष में प्रवेश कर चुके हैं, जिसकी संगणना उस वर्ष से की जाएगी जिसमें सेवा के अवस्य के समूह "क" पद नियुक्ति 1 भर्ती की गई थी।
4.	कनिष्ठ प्रशासनिक श्रेणी	प्रोन्नति द्वारा	ज्येष्ठ वेतनमान में ऐसे अधिकारी जिन्होंने उस श्रेणी में 5 वर्ष नियमित सेवा की है।
5.	ज्येष्ठ काल वेतनमान	ज्येष्ठता और उपयुक्तता के आधार पर प्रोन्नति द्वारा।	कनिष्ठ वेतनमान में के ऐसे अधिकारी जिन्होंने उस श्रेणी में चार वर्ष नियमित सेवा की है।
6.	कनिष्ठ काल वेतनमान	1. 50 प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा 2. 50 प्रतिशत नियम 7 के उपनियम (2) खंड (क) के अनुसार सीधी भर्ती द्वारा	आकाशवाणी/दूरदर्शन के ऐसे सहायक इंजीनियर उसको छोड़कर, जो सिविल सन्निवर्षण खण्ड में है, जिन्होंने उस श्रेणी में 3 वर्ष नियमित सेवा की है।

(5) उक्त नियमों की अनुसूची 4 के स्थान पर निम्नलिखित अनुसूची रखी जाएगी, अर्थात् :-

#### अनुसूची-4

(नियम 7 का उपनियम (4) देखें)

भारतीय प्रसारण (इंजीनियर) सेवा में सम्मिलित किए गए समूह "क" पदों पर प्रोन्नति और पुष्टि के मामलों पर विचार करने के लिए समूह "क" विभागीय प्रोन्नति समिति की संरचना :-

क्र. सं.	पद का नाम	समूह "क" वि. प्रो. सं. प्रोन्नति पर विचार करने के लिए	समूह "क" वि. प्रो. सं. पुष्टि पर विचार करने के लिए
1	2	3	4
1.	प्रमुख इंजीनियर	1. अध्यक्ष/सदस्य सं. लो. से. मा. -- अध्यक्ष 2. सचिव, सूचना और प्रसारण मंत्रालय -- सदस्य 3. महा निदेशक आकाशवाणी -- सदस्य 4. महा निदेशक, दूरदर्शन -- सदस्य	सूक्ष्म

1	2	3	4
2. ज्येष्ठ प्रशासनिक श्रेणी		1. अध्यक्ष/सदस्य सं. लो. से. प्रा. -- अध्यक्ष 2. सचिव, सूचना और प्रसारण मंत्रालय--सदस्य 3. महाविदेशक, भाषाशास्त्री--सदस्य 4. महाविदेशक, दूरदर्शन--सदस्य	शून्य
3. कनिष्ठ प्रशासनिक श्रेणी (अन्य श्रेणी)		1. संयुक्त सचिव, सू. और प्र. मंत्रालय--अध्यक्ष 2. प्रमुख इंजीनियर, भाषाशास्त्री--सदस्य 3. मुख्य इंजीनियर, दूरदर्शन--सदस्य	शून्य
4. कनिष्ठ प्रशासनिक श्रेणी		1. अध्यक्ष/सदस्य, सं. लो. से. प्रा. -- अध्यक्ष 2. संयुक्त सचिव, सू. और प्र. मंत्रालय--सदस्य 3. प्रमुख इंजीनियर, भाषाशास्त्री--सदस्य 4. प्रमुख इंजीनियर, दूरदर्शन--सदस्य	शून्य
5. ज्येष्ठ वेतनमान		1. प्रमुख इंजीनियर--अध्यक्ष 2. उपसचिव, सू. और प्र. मंत्रालय--सदस्य 3. मुख्य इंजीनियर--सदस्य (प्रमुख इंजीनियर, भाषाशास्त्री के अध्यक्ष होने की दशा में मुख्य इंजीनियर, दूरदर्शन से होगा और प्रमुख इंजीनियर, दूरदर्शन के अध्यक्ष होने की दशा में मुख्य इंजीनियर, भाषाशास्त्री से होगा)	शून्य
6. कनिष्ठ वेतनमान		1. अध्यक्ष/सदस्य सं. लो. से. प्रा. -- अध्यक्ष 2. संयुक्त सचिव, सू. और प्र. मंत्रालय--सदस्य 3. प्रमुख इंजीनियर, भाषाशास्त्री--सदस्य 4. प्रमुख इंजीनियर, दूरदर्शन--सदस्य	1. प्रमुख इंजीनियर--अध्यक्ष 2. उपसचिव, सू. और प्र. मंत्रालय --सदस्य 3. मुख्य इंजीनियर--सदस्य (प्रमुख इंजीनियर, भाषाशास्त्री के अध्यक्ष होने की दशा में मुख्य इंजीनियर, दूरदर्शन से होगा और प्रमुख इंजीनियर, दूरदर्शन के अध्यक्ष होने की दशा में मुख्य इंजीनियर, भाषाशास्त्री से होगा।)

टिप्पण 1 : आयोग के अध्यक्ष या सदस्य से भिन्न किसी सदस्य की अनुपस्थिति से आयोग की कार्यवाही, यदि समिति के प्राप्ति से अधिक सदस्यों ने उसके अधिवेशन में भाग लिया है तो अवधानान्य नहीं होगी।

टिप्पण 2 : पुष्टि से संबंधित वि. प्रो. सं. की कार्यवाही आयोग के अनुमोदनार्थ भेजी जाएगी। किन्तु यदि आयोग इनका अनुमोदन नहीं करता है तो सं. लो. से. प्रा. के अध्यक्ष या सदस्य की अध्यक्षता में वि. प्रो. सं. की बैठक फिर से होगी।

टिप्पण 3 : यदि वेतन में कमी पर पर नियुक्त किए गए किसी अधिकारी पर उच्चतर पथ में प्रोन्नति के प्रयोजन के लिए विचार किया जाता है तो श्रेणी में उससे ज्येष्ठ सभी व्यक्तियों पर भी, उनकी अपेक्षित वर्षों की सेवा न होने पर भी, विचार किया जाएगा।

(6) उक्त नियमों के नियम 4 के उपनियम (4) के स्थान पर निम्नलिखित उपनियम रखा जाएगा, अर्थात् :--

“(4) सरकार, आयोग के परामर्श से अनुसूची-1 में सम्मिलित पदों से भिन्न किन्हीं सहस्रक पदों की सेवा में सम्मिलित कर सक्षम या उससे अनुसूची में सम्मिलित किए गए पथ की सेवा से अपवर्जित कर सकेगी।”

(7) नियमों के उपनियम (4) के स्थान पर निम्नलिखित उपनियम रखा जाएगा, अर्थात् :--

“(4) प्रोन्नति के लिए अधिकारियों का अन्य ज्येष्ठ काल वेतनमान और कनिष्ठ प्रशासनिक श्रेणी (अन्य श्रेणी) के पदों पर प्रोन्नति की दशा के विचार, गुणांश के आधार पर अन्य द्वारा किया जाएगा। ज्येष्ठ काल वेतनमान में प्रोन्नति, अन्य को सरकारी काल के अधीन रहते हुए, ज्येष्ठता के क्रम में की जाएगी और कनिष्ठ प्रशासनिक श्रेणी (अन्य श्रेणी) में प्रोन्नति के लिए अन्य, अनुसूची 4 के अधीन सम्मिलित पदों से गठित विभागीय प्रोन्नति समिति की सिफारिश पर संपूर्ण कार्य निष्पादन अनुभव और अन्य सुसंगत विषयों को हिसाब में लेते हुए, उपर्युक्त प्राधारित ज्येष्ठता के आधार पर किया जाएगा।”

(8) उक्त नियमों की अनुसूची 2 के पैरा (2) के स्थान पर निम्नलिखित पैरा रखा जाएगा, अर्थात् :--

टिप्पण: मूल नियम सूचना और प्रसारण मंत्रालय की सरकारी अधिसूचना सं. 301/1/81-बी(बी) सा.वा.पि. 568 (ई.आई.) तारीख 4-11-81 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खण्ड 3 तारीख 5-11-81 द्वारा संशोधित किए गए थे तदनुसार उक्त निम्नलिखित संशोधन किया गया था

“(2) जिसने उक्त वर्ष के 1 अगस्त को जिसमें परीक्षा ली जाती है, 20 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली है और 25 वर्ष की आयु प्राप्त नहीं की है”

गया था :

- (1) भारत के राजपत्र, प्रकाशरण, भाग-2 खंड 3(1) में प्रकाशित सरकारी अधिसूचना सं. 301/1/81 बी(डी) सा.का.नि. 736(ई) तारीख 13-9-1982
- (2) भारत के राजपत्र, भाग 2, खंड-3(1) में प्रकाशित सरकारी अधिसूचना सं. 301/1/85-बी(डी) सा.का.नि. 736 तारीख 1-9-86
- (3) भारत के राजपत्र, भाग 2, खंड-5(1) में प्रकाशित सरकारी अधिसूचना तारीख 14-8-1987
- (4) भारत के राजपत्र, भाग 2, खंड 3(1) में प्रकाशित सरकारी अधिसूचना तारीख 31-10-1987।

[सं 2/7/85 एस-III बी(डी)]

बी.के. प्ररोडा, सचिव

### MINISTRY OF INFORMATION & BROADCASTING

New Delhi, the 23rd March, 1989

G.S.R. 266 : - In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the Indian Broadcasting (Engineers) Service Rules, 1981, namely:—

1. (1) These rules may be called the Indian Broadcasting (Engineers) Service (Amendment) Rules 1989.
- (2) They shall come into force on the date of their publication in the official Gazette.
2. In the Indian Broadcasting (Engineers) Service Rules, 1981, hereinafter referred to as the said rules, for clause (b) of sub-rule (2) of rule 7, the following clause shall be substituted, namely  
“(b) The remaining 50% vacancies in the Junior Time Scale shall be filled by the Controlling Authority by promotion of officers possessing qualifications prescribed for direct recruitment to Junior Time Scale in Schedule II of these rules from the relevant field of promotion and possessing the minimum qualifying service as specified against Serial number 6, in Column 4 of Schedule III on the basis of selection on merit by a duly constituted Departmental Promotion Committee as provided in Schedule IV.”
3. For Schedule I of the said rules, the following Schedule shall be substituted, namely:— “SCHEDULE-I

[See sub rule (i) of Rule 4]

#### NAME, NUMBER AND SCALE OF PAY OF DUTY POSTS INCLUDED IN THE VARIOUS GRADES OF THE INDIAN BROADCASTING (ENGINEERS) SERVICE.

S.No.	Grade	No. of posts			Scale of pay
		1	2	3	
		Pt.	Temp.	Total	
1.	Engineer-in-Chief	1	1	2	Rs. 7300-100-7600
2.	Senior Administrative Grade	7	15	22	Rs. 5900-200-6700
3.	Junior Administrative Grade (Selection Grade)		**		Rs. 4500-150-5700
4.	Junior Administrative Grade	71	64	135	Rs. 3700-125-4700-150-5000
5.	Senior Time Scale	200	147	347	Rs. 3000-100-3500-125-4500
6.	Junior Time Scale	232	383	615	Rs. 2200-75-2800-EB-100-4000.

\*\*The Junior Administrative Grade (Selection Grade) is non-functional grade and the maximum number of posts in this grade shall be equal to 15% of the senior duty posts (i.e. all duty posts at the level of Senior Time Scale and above in the Grades) and the number of posts in the Selection Grade will be limited to the number of posts sanctioned in the Junior Administrative Grade.

- (4) For Schedule III of the said rules, the following schedule shall be substituted, namely:—

“Schedule-III and  
(See clause (c) of sub-rule (2), and (3) of rule 7).

Method of recruitment, field of promotion and minimum qualifying service in the next lower grade for appointment of officers on promotion to duty posts included in the various grades of the Indian Broadcasting (Engineers) Service.

S. No.	Grade	Method of recruitment	Field of selection & minimum qualifying service for promotion
1	2	3	4
(1)	Engineer-in-Chief	By promotion	Officers in Senior Administrative Grade with 3 years regular service in the grade.

1	2	3	4
(2) Senior Administrative Grade		By promotion	Officers in the Junior Administrative Grade with 8 years regular service in the grade (including service), if any, in the non-functional selection grade or 17 years regular service in Group 'A' posts, out of which at least 4 yrs. regular service should be in Junior Administrative Grade.
(3) Junior Administrative (Grade) (Selection Grade).		By appointment on the basis of Seniority based on suitability taking in to account the overall performance, experience and any other related matters.	Officers who have entered the Fourteenth year of service as on 1st July of the year calculated from the year following the year in which the member was appointed/recruited to Group 'A' posts.
(4) Junior Administrative Grade.		By promotion.	Officers in the Senior Time Scale with 5 years regular service in the grade.
(5) Senior Time Scale.		By promotion on the basis of seniority-cum-fitness.	Officers in the Junior Time Scale with 4 years regular service in the grade.
(6) Junior Time Scale.		(i) 50% by promotion.  (ii) 50% by direct recruitment in accordance with clause (a) of sub rule (2) of rule 7.	Assistant Engineers of the Akashvani/Doordarshan excluding those in Civil Construction wing with 3 years regular service in the grade.

(7) For Schedule IV of the said rules, the following schedule shall be substituted, namely:-

"Schedule IV

[See sub-rule (4) of rule (7)]

Composition of Group 'A' Departmental Promotion Committee for considering cases of promotion and confirmation of Group 'A' posts included in the Indian Broadcasting (Engineers) Service.

S. No. of the post No.	Group 'A' DPC (For considering promotion)	Group 'A' DPC (For considering confirmation)
1	2	3
1. Engineer-in-Chief	1. Chairman/Member, UPSC 2. Secretary, M/o I&B 3. Director General of All India Radio 4. Director General, Doordarshan	--Chairman --Member --Member --Member Nil
2. Senior Administrative Grade.	1. Chairman/Member UPSC 2. Secretary, M/o I&B 3. Director General, All India Radio 4. Director General, Doordarshan	--Chairman --Member --Member --Member Nil
3. Junior Administrative Selection Grade.	1. Joint Secretary, M/o I & B 2. Chief Engineer, All India Radio 3. Chief Engineer, Doordarshan	--Chairman --Member --Member Nil
4. Junior Administrative Grade.	1. Chairman/Member, UPSC 2. Jt. Secretary, M/o I&B 3. Engineer-in-Chief, AIR 4. Engineer-in-Chief, Doordarshan	--Chairman --Member --Member --Member Nil
5. Senior Scale	1. Engineer-in-Chief 2. Dy. Secy. M/o I&B 3. Chief, Engineer (In case the chairman is Engineer-in-Chief, AIR, then the Chief-Engineer would be from Doordarshan & vice-versa)	--Chairman --Member --Member Nil

1	2	3	4
6. Junior Scale		1. Chairman/Member, UPSC 2. Joint Secretary, M/o I&B 3. Engineer-in-Chief, AIR 4. Engineer-in-Chief, Doordarshan	— Chairman — Member. — Member. — Member 1. Engineer-in-Chief—Chairman 2. Dy. Secy., M/o I&B —Member. 3. Chief Engineer—Member. (In case the Chairman is Engineer-in-Chief, AIR then the Chief Engineer would be from Doordarshan and Vice-Versa)

Note : 1. The absence of Member, other than the Chairman or a Member of the Commission shall not invalidate the Proceedings of the Committee, if more than half the Members of the Committee had attended its meetings.

2. The proceedings of the DPC relating to confirmation shall be sent to the Commission for approval. If, however, these are not approved by the Commission a fresh meeting of the DPC to be presided over by the Chairman or a Member of the Commission shall be held.

3. If an officer appointed to any post in the Service is considered for the purpose of promotion to a higher post all persons senior to him in the grade shall also be considered notwithstanding that they may not have rendered the requisite number of years of service.

(ix) For posts in the Junior Time Scale.

(6) For sub-rule (4) of rule 4 of the said rules, the following sub-rule shall be substituted, namely:—

“(4) Government may in consultation with the Commission, include in the service any allied posts other than those included in Schedule I or exclude from the service a post included in the said Schedule.”

(7) (3) For sub-rule (4) of the rule 7 of the said rules, the following sub-rule shall be substituted, namely:

“(4) The Selection of officers for promotion shall be made by selection on merit except in the case of promotion to the posts in Senior Time Scale and Junior Administrative Grade (Selection Grade). Promotions to Senior Time Scale shall be made in the order of seniority subject to rejection of the unfit and selection for promotion to Junior Administrative Grade (Selection Grade) shall be made on the basis of seniority based on suitability taking into account the over-all performance, experience and any other related matters, on the recommendations of the DPC duly constituted under Schedule IV.”

(8) For paragraph (2) of Schedule II of the said rules, the following paragraph shall be substituted, namely:—

“(2) Attained the age of 20 years and must not have attained the age of 28 years as on first day of August of the years in which the examination is held.”

Note : (2) The principal rules were published in the Gazette of India Extraordinary Part-II Section 3(i), dated 5-11-81 vide Government Notification, Ministry of I&B No. 301/1/81-B(D), (GSR 678 (E) dated 4-11-81 and was subsequently amended by:—

(i) Government Notification No. 301/1/81-D(B), G.S.R. 573 (E), dt. 13-9-82 published in the Gazette of India Extraordinary Part-II Section 3 (i)

(ii) Govt. Notification No. 301/14/85-B(D) GSR 725 dated 6-9-86, published in the Gazette of India Part-II Section 3(i)

(iii) Govt. Notification dated 14-9-87 published in the Gazette of India, Part-II Section 3(i).

(iv) Govt. Notification dt. 21-10-87 published in the Gazette of India, Part-II Section 3(i).

[No. 2/7/85-SIII/B(D)]  
V. K. ARORA, Under Secy.

नई दिल्ली, 31 मार्च, 1989

सा.का.नि. 267.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रवृत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सूचना और प्रसारण मंत्रालय (फिल्म महोत्सव निदेशालय) में समूह 'ग' और समूह 'ब' पदों पर भर्तियों की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं अर्थात्:—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम फिल्म महोत्सव निदेशालय (समूह 'ग' और समूह 'ब' पद) भर्तियों नियम, 1988 है

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की शारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. पदसंख्या, वर्गीकरण और वेतनमान:—उक्त पदों की संख्या, उसका वर्गीकरण और उनके वेतनमान वे होंगे जो इन नियमों से उदाहरण अनुसूची के स्तम्भ 2 से स्तम्भ 4 में विनिर्दिष्ट है।

3. भर्तियों की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि:—उक्त पदों पर भर्तियों की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उनके संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तम्भ 5 से स्तम्भ 14 में विनिर्दिष्ट है।

4. आरंभिक गठन:—फिल्म महोत्सव निदेशालय के ऐसे समूह 'ग' और समूह 'ब' पदों के वर्तमान पदधारी के इस संगठन में राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम से प्रतिनियुक्ति पर है, फिल्म महोत्सव निदेशालय के एक संलग्न कार्यालय के रूप में इस मंत्रालय को पुनः अंतरित किए जाने के परिणाम स्वरूप और जो फिल्म महोत्सव निदेशालय में सेवा का विकास करते हैं, उनके द्वारा वर्तमान रूप से धारित पदों पर नियुक्ति के लिए उनकी पात्रता का अधिनियमन सरकार द्वारा इस प्रयोजन के लिए गठित चयन समिति द्वारा किया जाएगा यदि वे इसके पात्र पाए जाते हैं, तो इन नियमों के अधीन अपने पद पर आरंभिक गठन पद नियुक्ति के लिए गए समझे आयेंगे चयन समिति का गठन निम्न प्रकार होगा:—